

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं. -2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

कमांक/माचि-1/माचि-1/GEN-544/3455
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-4-2024

महाप्रबंधक,

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई-01, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मिटिगेशन मेजर्स (पैसेज प्लान) के संबंध में।

संदर्भ :- वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट का पत्र कमांक/2576 दिनांक 16.04.2024 एवं आपका पत्र कमांक/812/तक/मप्रप्रासप्रा/2024 दिनांक 04.04.2024 तथा कार्यालयीन पत्र कमांक/माचि-1/GEN-544/2267 दिनांक 15.03.2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु विभिन्न प्रकरणों में दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर में आने से वनभूमि व्यवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) के साथ राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पैसेज प्लान में निम्न बिंदुओं का समावेश किया जाना आवश्यक है।

(अ) योजना का संक्षिप्त विवरण।

(ब) मानचित्र जिसमें मार्ग/वनसीमा/कॉरीडोर की सीमा स्पष्ट दर्शित हो।

(स) आवश्यक मिटिगेशन मेजर्स का लिनियर प्लान जिसमें मार्ग के मिटिगेशन मेजर्स जैसे अण्डरपास एवं ओवरपास स्पीड ब्रेकर/संकेतक बोर्ड इत्यादि का साईज (लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई) एवं इनके अक्षांश-देशांश भी अंकित हो। प्रस्तावित संरचनाओं की संक्षिप्त ड्राइंग इत्यादि का समावेश हो।

(द) कॉरीडोर में निर्माण किये जाने वाले मार्गों के प्रत्येक कि.मी. में अण्डरपास एवं ओवरपास (300 मीटर का) बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऐसे स्थलों पर अण्डरपास एवं ओवरपास निर्माण किया जाना चाहिये जहाँ, संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि वन्यप्राणी आवागमन के लिये मार्ग का उपयोग करते हैं। मिटिगेशन मेजर्स प्लान हेतु आवेदक विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर यदि प्रस्तावित अण्डरपास एवं ओवरपास की संख्या अधिक है, तब उनकी संख्या युक्तियुक्त (Rationalize) कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें।

(य) वनक्षेत्र से गुजरने वाले अंश पर मिटिगेशन मेजर्स प्लान के साथ अनुमानित व्यय की राशि का भी उल्लेख करें। ताकि वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन के लिये आवश्यक राशि की मांग की जा सके।

आपके द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सत्यानंद)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30-4-2024

पू. कमांक/माचि-1/GEN-544/3456

प्रतिलिपि 1. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),

मध्यप्रदेश, भोपाल

कायालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं. -2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2766315 फ़ैक्स : 0755-2766315 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि-1/WL/LM-15/2281

भोपाल, दिनांक 15-3-2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत (प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/67/तक/मप्रप्रासप्रा/2024 दिनांक 05.01.2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हे० वनभूमि व्यवपर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु क्रमांक 07- The proposed road is part of Tadoba Indrawati Tiger corridor Regarding approval from Competent authority shall be submitted के संबंध में अभिमत चाहा गया है।

उक्त संबंध में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सामान्य बालाघाट का पत्र क्रमांक/माचि/1801-1802 दिनांक 05.03.2024 जोकि आपको सम्बोधित कर इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट (सामान्य)वनमण्डल के परिक्षेत्र पश्चिम लांजी एवं पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342 एवं 346 में मार्ग की कुल लम्बाई 14100 मीटर रकबा 12.690 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 11500 मीटर रकबा 10.350 हेक्टेयर वनक्षेत्र कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 641, 634, 636, 637, 621 एवं 342 में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित मार्ग कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करे ताकि आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

पू० क्रमांक/माचि-1/WL/LM-15/2282

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15-3-2024

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

1801

बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, बालाघाट
जिला- बालाघाट (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट उपयोग पर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/मा.चि-1/WL/LM-15/1397, 1398 दिनांक 14.02.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./575, 576 दिनांक 19.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में लेख है, कि विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में पश्चिम लांजी एवं पूर्व लांजी परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342, 346 में सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 14100 मीटर रकबा 12.690 हे० में से लगभग लम्बाई 11500 मीटर रकबा 10.350 हे० वनक्षेत्र कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाईगर कॉरिडोर के अन्तर्गत आता है। जिसमें कार्यालयीन अभिलेखों में अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के अनुसार कक्ष क्रमांक 641, 634, 636, 637, 621, 342 में बाघ की उपस्थिति दर्ज है।

अतएव उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु Mitigation Plan, Wild life Clearance के लिये Parivesh Portal के माध्यम से प्रस्तुत करें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./
प्रतिलिपि :- 1802

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (3) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।


(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. -2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि-1/WL/LM-15/1397
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-2-2024

वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/माचि/575 दिनांक 19.01.2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि व्यवपतन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा 22.11.2023 से बिन्दु क्रमांक 04- The proposed road falls under Tadoba Indrawati Tiger corridor. Thus comments of CWLW shall be submitted. के संबंध में चाही गई जानकारी का जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु में दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के परिक्षेत्र पूर्व /पश्चिम लांजी के वनकक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637 621, 344, 345, 343A, 343B एवं 342 में लम्बाई 14500 मीटर रकबा 12.690 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत है। परन्तु आपके द्वारा लेख किया गया है कि मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित वनक्षेत्र में मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अंतर्गत वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार रेखीय परियोजना में वन्यप्राणी संरक्षण की दृष्टि से मिटिगेशन मेजर्स का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट करें कि उक्त प्रस्तावित मार्ग का रकबा 12.690 हेक्टेयर क्षेत्र कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत है फिर भी मिटिगेशन मेजर्स की आवश्यकता क्यों नहीं है? साथ ही उक्त प्रस्तावित मार्ग हेतु प्रभावित वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक, कॉरीडोर दर्शाता हुआ अभिप्रमाणित रंगीन मानचित्र (स्केल 1:50000) अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन 03 के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार उक्त कक्ष क्रमांको में बाघ की उपस्थिति/ अनुपस्थिति संबंधी जानकारी भी दें। ताकि इस कार्यालय का अभिमत प्रेषित किया जा सके।

(सत्यानंद)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)

मध्यप्रदेश, भोपाल


भोपाल, दिनांक 14-2-2024

पृ० क्रमांक/माचि-1/WL/LM-15/1398
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

575

बालाघाट, दिनांक 19/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यप्राणी)
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट उपयोग पर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/व.प्रा./व.त.अ.-1/GEN-551/442, 443 दिनांक 15/01/2024,

--00--

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में लेख है, कि विषयांतर्गत सड़क मार्ग के वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावित प्रकरण में दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमंडल के वन परिक्षेत्र, पश्चिम लांजी (सा.) अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342 में लम्बाई 14100 मीटर, रकबा 12.690 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में NTCA के वेबसाईड से कॉरिडोर के KML का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 291A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343A, 343B, 342 में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उपर्युक्त मार्ग की KML File एवं कॉरिडोर की KML अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में उपर्युक्त प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में अन्डर पासेस एवं चैनलिंग फेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर संकेतक बोर्ड एवं प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर गतिअवरोधक, आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बालाघाट, द्वारा परियोजना व्यय पर उनके द्वारा ही बनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- KML File एवं कॉरिडोर की KML

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./

576

बालाघाट, दिनांक 19/01/2024

प्रतिलिपि :-

- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/व.प्रा./व.त.अ.-1/GEN-551/442, 443 दिनांक 15/01/2024, जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी एवं पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

OK

Sitapala Tatikal to Kosamdehi

Area 12,690 ha
Kanha-Nagjhira Corridor

Legend

